न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 156 / 2020
जमील पुत्र गुलाम हुसैन, जाति मुस्लिम, निवासी वार्ड न0 18, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी चिडावा एवं एस0डी0एम0, चिडावा, जिला झुंझुंनूं।
2. मजीद पुत्र गफूर, जाति व्यापारी, निवासी वार्ड नम्बर 14 पुराना, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
3. सायरा पत्नि मजीद, जाति व्यापारी, निवासी वार्ड नम्बर 14 पुराना, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
4. कलसुम पत्नि इकराम, जाति व्यापारी, निवासी वार्ड नम्बर 5 पुराना, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
5. मकबूल पुत्र गफूर, जाति व्यापारी, निवासी वार्ड नम्बर 14 पुराना, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
6. आरिफ पुत्र गफूर, जाति व्यापारी, निवासी वार्ड नम्बर 14 पुराना, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
7. अजीज पुत्र रमजान, जाति व्यापारी, निवासी वार्ड नम्बर 11 पुराना, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
8. परवीन पत्नि अजीज, जाति व्यापारी, निवासी वार्ड नम्बर 11 पुराना, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

—— रेस्पोडेन्ट

—

अपील अ0धारा 17 बी The Rajasthan Municipalties Registration of Electirs 1974 खिलाफ आदेश दिनांक 10.07.2020 निर्वाचन निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी नगर पालिका चिडावा एवं एस0डी0एम0 चिडावा बाबत रेस्पोडेन्ट्स का नाम नगर पालिका चिडावा के वार्ड न0 18 की मतदाता सूची मे किये गये आक्षेप के निर्णय के विरूद्व अपील।

—

उपस्थित

1. मो0 खादिम, एडवोकेट– अपीलांट की ओर से
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से
3. श्री संजय सैनी, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर से

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

आदेश

दिनांक 26.10.2020

उक्त विषयक अपील विद्वान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0ओ0) चिडावा के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में विवरण अपील अपीलान्ट के अनुसार इस प्रकार है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.07.2020 खिलाफ कानून है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 का निवास स्थान वार्ड नम्बर 18 मे ना होकर वार्ड नम्बर पुराना 14 मे स्थित है, वहीं पर अपने परिवार सहित निवास करता है एवं वार्ड नम्बर 14 के ही राशन कार्ड, आधार कार्ड है एवं रेस्पोडेन्ट न0 2 व 3 का निर्वाचक नामावली 2015 मे वार्ड नम्बर 14 मे नाम दर्ज है। वार्ड नम्बर 18 जो कि पूर्व मे वार्ड नम्बर 8 था मे से भी रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 का नाम हटाया हुआ है। किन्तु इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 का नाम वार्ड नम्बर 18 मे यथावत रखा हुआ है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 का निवास स्थान वार्ड नम्बर 18 मे ना होकर वार्ड नम्बर पुराना 5 मे स्थित है, वहीं पर अपने परिवार सहित निवास करता है एवं वार्ड नम्बर 5 के ही राशन कार्ड आधार कार्ड है एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 का निर्वाचन नामावली 2015 मे वार्ड नम्बर 5 मे नाम दर्ज है। वार्ड नम्बर 18 जो कि पूर्व मे वार्ड नम्बर 8 था मे से भी रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 का नाम हटाया हुआ है एवं रेस्पोडेन्ट का इसी वार्ड नम्बर 18 के कमांक संख्या 782 पर भी डबल रूप से दर्ज है, किन्तु इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 का नाम वार्ड नम्बर 18 मे यथावत रखा हुआ है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 5 का निवास स्थान वार्ड नम्बर 18 मे ना होकर वार्ड नम्बर पुराना 14 मे स्थित है, वहीं पर अपने परिवार सहित निवास करता है एवं वार्ड नम्बर 14 के ही राशन कार्ड आधार कार्ड है एवं बिजली का विघुत बिल भी है एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 5 का निर्वाचन नामावली 2015 मे वार्ड नम्बर 14 मे नाम दर्ज है। वार्ड नम्बर 18 जो कि पूर्व मे वार्ड नम्बर 8 था मे से भी रेस्पोडेन्ट नम्बर 5 का नाम हटाया हुआ है, किन्तु इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 5का नाम वार्ड नम्बर 18 मे यथावत रखा हुआ है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 6 का वार्ड नम्बर 18 मे निवास नही करता है, वार्ड नम्बर पुराना 14 मे रेस्पोडेन्ट का आवास है एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 6 का वर्ष 2015 की निर्वाचन नामावली मे भी वार्ड नम्बर 14 मे नाम दर्ज है। वार्ड नम्बर 18 बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 6 ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया जिससे कि उनका नाम वार्ड नम्बर 18 मे यथावत रखा जावे। रेस्पोडेन्ट नम्बर 7 व 8 का निवास स्थान वार्ड नम्बर 18 मे ना होकर वार्ड नम्बर पुराना 5 मे स्थित है, वहीं पर अपने परिवार सहित निवास करता है एवं वार्ड नम्बर 5 के ही राशन कार्ड, आधार कार्ड है। एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 7 व 8 का निर्वाचन नामावली 2015 मे वार्ड नम्बर 5 मे नाम दर्ज है। वार्ड नम्बर 18 जो कि पूर्व मे वार्ड नम्बर 8 था मे से भी रेस्पोडेन्ट नम्बर 7 व 8 का नाम हटाया हुआ है एवं विघुत बिल भी वार्ड नम्बर 118 का ना होकर दीगरा वार्ड का है किन्तु इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 7 व 8 का नाम वार्ड नम्बर 18 मे यथावत रखा हुआ है। अतः अपील मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्टगण का वार्ड नम्बर 18 मे रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 का कमांक संख्या 481, रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 का 482, रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 का 483, रेस्पोडेन्ट नम्बर 5 का 484, रेस्पोडेन्ट नम्बर 6 का 485, रेस्पोडेन्ट नम्बर 7 का 473 व रेस्पोडेन्ट नम्बर 8 का 474 का नाम नगर पालिका वार्ड नम्बर 18 की निर्वाचन नामावली 2020 से हटाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेन्टगण सं0 1 लगायत 8 वार्ड नम्बर 18 मे निवास नही करते है। रेस्पोडेन्टगण सं0 1 लगायत 8 अन्य वार्ड मे निवास करते है। वहीं उनके दस्तावेज बने हुए है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्टगण का वार्ड नम्बर 18 मे रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 का कमांक संख्या 481, रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 का 482, रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 का 483, रेस्पोडेन्ट नम्बर 5 का 484, रेस्पोडेन्ट नम्बर 6 का 485, रेस्पोडेन्ट नम्बर 7 का 473 व रेस्पोडेन्ट नम्बर 8 का 474 का नाम नगर पालिका वार्ड नम्बर 18 की निर्वाचन नामावली 2020 से हटाया जावे।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

रेस्पोडेन्ट सं0 2 के वकील ने वकील अपीलान्ट के कथनो का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेन्टगण सं0 1 लगायत 8 वार्ड नम्बर 18 मे ही निवास करते है। बी0एल0ओ0 की रिपोर्ट के आधार पर अदालत मातहत ने जो निर्णय किया है वह विधिनुकूल है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर रेस्पोडेन्टगण नम्बर 1 लगायत 8 के नाम वार्ड नम्बर 18 मे यथावत रखे जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक (वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1) ने बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट के तर्को का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि बी0एल0ओ0 की रिपोर्ट के आधार पर अदालत मातहत ने जो निर्णय किया है वह विधिनुकूल है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 8 के नाम नगर पालिका चिडावा के वार्ड नम्बर 18 की मतदाता सूची मे यथावत रखे जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। बी0एल0ओ0 की रिपोर्ट के अनुसार रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 8 नगर पालिका चिडावा के वार्ड न0 18 मे ही निवास करते है। ऐसी स्थिति मे अदालत मातहत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0एम0) चिडावा द्वारा पारित आदेश उचित है। अतः अपील का निर्णय मैरिट के आधार पर किया जाकर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जाता है। रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 8 का नाम नगर पालिका चिडावा की वार्ड नं0 18 की मतदाता सूची मे यथावत रखा जावे। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 26.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं
26/10/2020